



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1763]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 17, 2019/ज्येष्ठ 27, 1941

No. 1763]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 17, 2019/JYAISTHA 27, 1941

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2019

का.आ. 1972(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) तीन सौ पचासवां संशोधन नियम, 2019 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में,-

(क) "1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "(iii) पशुपालन और डेयरी विभाग" उप-शीर्षक, और "(iv) मत्स्यपालन विभाग" उप-शीर्षक का लोप किया जाएगा;

(ख) "9कक. पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय" शीर्षक का लोप किया जाएगा;

(ग) "13. वित्त मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन उप-शीर्षकों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"13क. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(i) मत्स्यपालन विभाग

(ii) पशुपालन और डेयरी विभाग";

(घ) "19. सूचना और प्रसारण मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और उप-शीर्षक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"19क. जल शक्ति मंत्रालय

(i) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(ii) पेय जल और स्वच्छता विभाग";

(ङ) "41. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शीर्षक का लोप किया जाएगा।

(2). द्वितीय अनुसूची में,-

(i) "कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ग. पशुपालन और डेयरी विभाग" उप-शीर्षक, और "घ. मत्स्यपालन विभाग" उप-शीर्षक, तथा उनके अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) "पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय" शीर्षक तथा उसके अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) "पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" के अधीन प्रविष्टि 8 तथा प्रविष्टि 8क का लोप किया जाएगा

(iv) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक और उसके अधीन उप-शीर्षकों और प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक, उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

" मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

क. मत्स्यपालन विभाग

भाग-।

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची । के अंतर्गत आते हैं:

1. वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध मछली-दाना और मत्स्य उत्पादों के विकास से है, इस परि सीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में, मत्स्यपालन विभाग के कृत्य, मांगों के प्रतिपादन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों ।
2. मछली पकड़ना और मछली पालन (अंतरदेशीय, सामुद्रिक तथा राज्यक्षेत्रीय सागर खंड के परे) और इसके अवसंरचना विकास, विपणन, निर्यात तथा संस्थागत व्यवस्था आदि सहित सहयुक्त क्रियाकलापों का संवर्धन और विकास ।
3. मछुआरों तथा अन्य मछुआरा समूह का कल्याण तथा उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाना।
4. मछली पालन के विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क और सहयोग।
5. मछली पालन सांख्यिकी ।
6. प्राकृतिक आपदाओं के कारण मछलीधन को हुए नुकसान संबंधी मामले ।
7. मछलीधन आयात का विनियमन, करंतीन और प्रमाणीकरण ।

8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई ।

भाग-II

निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत):

9. मछलियों को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।
10. राज्य अभिकरणों/ सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, मछली पालन विकास स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता का स्वरूप ।

भाग-III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आते हैं:

11. मछलीधन का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा मछली रोगों का निवारण, पशु-चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय ।
12. मछलीधन का बीमा ।

ख. पशुपालन और डेयरी विभाग

भाग- I

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के अंतर्गत आते हैं:

1. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, वहां तक जहां तक उनका संबंध पशुधन और पक्षी-दाना तथा डेयरी और मुर्गीपालन उत्पादों के विकास से है, इस परि सीमा के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में पशुपालन और डेयरी विभाग के कृत्य, मांगों के आकलन और लक्ष्यों के नियतन से अधिक न हों ।
2. पशुधन, डेयरी और मुर्गीपालन और इसके अवसंरचना विकास, विपणन, निर्यात तथा संस्थागत व्यवस्था आदि सहित सहयुक्त क्रियाकलापों का संवर्धन और विकास ।
3. पशुधन, डेयरी और मुर्गीपालन से संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों का कल्याण ।
4. पशुधन और मुर्गीपालन के विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संपर्क और सहयोग।
5. पशुधन गणना ।
6. पशुधन सांख्यिकी ।
7. प्राकृतिक विपत्तियों के कारण पशुधन को हुए नुकसान संबंधी मामले ।
8. पशुधन आयात का विनियमन, पशु करंतीन और प्रमाणीकरण ।
9. गौशाला और गौसदन ।

10. कांजीहौस और पशु अतिचार से संबंधित मामले ।
11. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ।
12. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) ।

भाग- II

निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III के अंतर्गत आते हैं (केवल विधान की बाबत):

13. पशु चिकित्सा व्यवसाय वृत्ति ।
14. पशुओं और पक्षियों को हानि पहुंचाने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों या नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण ।
15. स्वदेशी प्रजातियों में परिवर्तन लाना; पशुधन की स्वदेशी प्रजातियों के लिए केन्द्रीय यूथ पंजी बनाना एवं उनका रखरखाव ।
16. राज्य अभिकरणों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, डेयरी विकास स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता का स्वरूप ।

भाग-III

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त भाग I और भाग II में वर्णित विषय जहां तक वे इन राज्य क्षेत्रों की बाबत विद्यमान हैं, और इनके अतिरिक्त निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के अंतर्गत आते हैं:

17. पशु नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण और उन्नति तथा पशु और पक्षी रोगों का निवारण, पशु-चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय ।
18. प्रतिपाल्य अधिकरण ।
19. पशुधन और पक्षियों का बीमा ।

भाग - IV

20. पशु उपयोग और वध से संबंधित मामले ।
21. चारा विकास ।"

(v) "आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 21 में, "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "जल शक्ति मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे;

(vi) "सूचना और प्रसारण मंत्रालय" शीर्षक तथा उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक, उप-शीर्षक तथा प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् -

"जल शक्ति मंत्रालय"

क. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

I. साधारण

1. राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंध; जल के विविध उपयोगों और नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में जल योजना और समन्वय का संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ।

2. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् ।
3. साधारण नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण और सिंचाई से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत बहुउद्देशीय, बड़े, मध्यम, लघु और आपातकालिक सिंचाई संकर्म भी आते हैं; नौवहन और जल विद्युत संबंधी जलीय संरचनाएं; नलकूप और भूमि जल का अन्वेषण एवं दोहन; भूमि जल संसाधनों का संरक्षण और परिरक्षण; धरातलीय और भूमि जल का संयुक्त उपयोग, कृषि प्रयोजनों के लिए सिंचाई, जल प्रबंध, कमान क्षेत्र विकास; जलाशयों और जलाशय अवसादन प्रबंध; बाढ़ (नियंत्रण) प्रबंध, जल-निकास, सूखा नियंत्रण, जल-जमाव और समुद्री कटाव समस्याएं; बांध सुरक्षा ।
4. अंतर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास । स्कीमों के माध्यम से अधिकरणों के पंचाटों का कार्यान्वयन, नदी बोर्ड ।
5. जल विधि, विधायन ।
6. जल गुणवत्ता निश्चरण ।
7. केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह क) का काडर नियंत्रण और प्रबंध ।

II. अंतर्राष्ट्रीय पहलू

8. जल संसाधन विकास और प्रबंध, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आयोग और सम्मेलन ।
9. अंतर्राष्ट्रीय जल विधि ।
10. भारत और पड़ोसी देशों की साझी नदियों से संबंधित मामले; बंगलादेश के साथ संयुक्त नदी आयोग; सिंधु जल संधि, 1960; स्थायी सिंधु आयोग ।
11. जल संसाधन विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय और बाह्य सहायता तथा सहयोग कार्यक्रम।

III. विभाग के अधीन संगठन और निकाय

12. केन्द्रीय जल आयोग ।
13. केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र ।
14. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ।
15. केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण ।
16. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र ।
17. फरक्का बराज परियोजना ।
18. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ।
19. फरक्का बराज परियोजना नियंत्रण बोर्ड ।
20. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति ।

21. ब्रह्मपुत्र बोर्ड ।
22. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ।
23. बेतवा नदी बोर्ड ।
24. राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान ।
25. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ।
26. बाणसागर नियंत्रण बोर्ड ।
27. तुंगभद्रा बोर्ड ।
28. अपर यमुना नदी बोर्ड ।
29. जल और विद्युत परामर्शी सेवा (भारत) लिमिटेड (वापकोस) ।
30. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड ।
31. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जिसके अंतर्गत मिशन निदेशालय, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन और गंगा संरक्षण से संबंधित अन्य मामले भी हैं ।
32. नदियों का संरक्षण, विकास, प्रबंधन और नदियों के प्रदूषण का उपशमन ।
33. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

IV. अधिनियमों का प्रशासन

34. उत्तरी भारत नहर और जल-निकास अधिनियम, 1873 (1873 का 8) ।
35. अंतर-राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) ।
36. नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 (1956 का 49) ।
37. बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 (1976 का 63) ।
38. ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) ।

ख. पेय जल और स्वच्छता विभाग

1. ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित ग्रामीण जल पूर्ति (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए), मल व्ययन, जल निकास और स्वच्छता; इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।
2. लोक सहकारिता, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक अभिकरणों से संबंधित मामले भी हैं जहां तक उनका संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जल पूर्ति, मल-व्ययन, जल निकास और स्वच्छता से है ।
3. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां ।

4. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति परियोजनाओं और मुद्दों से संबंधित विषयों के संबंध में समन्वय।";
- (vii) "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शीर्षक तथा उसके अधीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

राम नाथ कोविन्द
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/7/2019-मंत्रि.]

रचना शाह, संयुक्त सचिव

**CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2019.

S.O. 1972(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fiftieth Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-
 - (1) in THE FIRST SCHEDULE,-
 - (a) under the heading "1. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Krishi Evam Kisan Kalyan Mantralaya)", the sub-heading "(iii) Department of Animal Husbandry and Dairying (Pashupalan aur Dairy Vibhag)" and sub-heading "(iv) Department of Fisheries (Matsyapalan Vibhag)" shall be omitted;
 - (b) the heading "9AA. Ministry of Drinking Water and Sanitation (Peya Jal aur Swachchhata Mantralaya)" shall be omitted;
 - (c) after the heading "13. Ministry of Finance (Vitta Mantralaya)" and sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be inserted, namely:-
"13A. Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (Matsyapalan, Pashupalan aur Dairy Mantryalaya)
 - (i) Department of Fisheries (Matsyapalan Vibhag)
 - (ii) Department of Animal Husbandry and Dairying (Pashupalan aur Dairy Vibhag)";
 - (d) after the heading "19. Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya)", the following heading and sub-headings shall be inserted, namely:-
"19A. Ministry of Jal Shakti (Jal Shakti Mantralaya)
 - (i) Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (Jal Sansadhan, Nadi Vikas aur Ganga Sanrakshan Vibhag)
 - (ii) Department of Drinking Water and Sanitation (Peya Jal aur Swachchhata Vibhag)";
 - (e) the heading "41. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (Jal Sansadhan, Nadi Vikas aur Ganga Sanrakshan Mantralaya)" shall be omitted.
 - (2) in THE SECOND SCHEDULE,-
 - (i) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KRISHI EVAM KISAN KALYAN MANTRALAYA)", the sub-heading "C. DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (PASHUPALAN AUR DAIRY VIBHAG)" and the sub-heading "D. DEPARTMENT OF FISHERIES (MATSYAPALAN VIBHAG)", and entries thereunder shall be omitted;
 - (ii) the heading "MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION (PEYA JAL AUR SWACHCHHATA MANTRALAYA)" and the entries thereunder shall be omitted;

(iii) under the heading “MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (PARYAVARAN, VAN AUR JALVAAYU PARIVARTAN MANTRALAYA)”, entries 8 and 8A shall be omitted;

(iv) after the heading “MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)” and sub-headings and entries thereunder, the following heading, sub-headings and entries shall be inserted, namely:-

“MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (MATSYAPALAN, PASHUPALAN AUR DAIRY MANTRYALAYA)

**A. DEPARTMENT OF FISHERIES
(MATSYAPALAN VIBHAG)**

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

1. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest as far as these relate to development of fish feed and fish products with the limitation that in regard to the development of industries, the functions of the Department of Fisheries do not go further than the formulation of the demand and fixation of targets.
2. Promotion and development of fishing and fisheries (inland, marine and beyond territorial waters) and its associated activities, including infrastructure development, marketing, exports, and institutional arrangements etc.
3. Welfare of fishermen and other fisher-folk and strengthening of their livelihoods.
4. Liaison and cooperation with international organizations in matters relating to fisheries development.
5. Fisheries Statistics.
6. Matters relating to loss of fish stock due to natural calamities.
7. Regulation of fish stock importation, quarantine and certification.
8. Fishery Survey of India, Mumbai.

PART II

The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only):

9. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting fish.
10. Pattern of financial assistance to various State Undertakings, Fisheries Development Schemes through State agencies/Co-operative Unions.

PART III

For the Union territories the subjects mentioned in parts I and II above, so far as they exist in regard to these territories and, in addition, to the following subjects which fall within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

11. Preservation, protection and improvement of fish stocks and prevention of diseases thereof, veterinary training and practice.
12. Insurance of fish stock.

**B. DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
(PASHUPALAN AUR DAIRY VIBHAG)**

PART I

The following subjects which fall within List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

1. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest as far as these relate to development of livestock and birds feed and dairy and poultry products with the limitation that in regard to the development of industries, the functions of the Department of Animal Husbandry and Dairying do not go further than the formulation of the demand and fixation of targets.
2. Promotion and development of livestock, dairy and poultry and its associated activities, including infrastructure development, marketing, exports and institutional arrangements etc.
3. Welfare of persons engaged in activities relating to livestock, dairy and poultry.

4. Liaison and cooperation with international organizations in matters relating to livestock and poultry development.
5. Livestock Census.
6. Livestock Statistics.
7. Matters relating to loss of livestock due to natural calamities.
8. Regulation of livestock importation, animal quarantine and certification.
9. Gaushalas and Gausadans.
10. Matters relating to pounds and cattle trespass.
11. Prevention of cruelty to animals.
12. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960).

PART II

The following subjects which fall within List III of the Seventh Schedule to the Constitution of India (as regards legislation only):

13. Profession of veterinary practice.
14. Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting animals and birds.
15. Conversion of indigenous breeds; introduction and maintenance of Central Herd Books for indigenous breeds of livestock.
16. Pattern of financial assistance to various State Undertakings, Dairy Development Schemes through State agencies/Co-operative Unions.

PART III

For the Union territories the subjects mentioned in parts I and II above, so far as they exist in regard to these territories and, in addition, to the following subjects which fall within List II of the Seventh Schedule to the Constitution of India:

17. Preservation, protection and improvement of stocks and prevention of diseases of animals and birds, veterinary training and practice.
18. Courts of Wards.
19. Insurance of livestock and birds.

PART IV

20. Matters relating to cattle utilisation and slaughter.
21. Fodder development.”

(v) under the heading “MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (AWASAN AUR SHAHARI KARYA MANTRALAYA)”, in the entry 21, for the words “Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation”, the words “Ministry of Jal Shakti” shall be substituted;

(vi) after the heading “MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)” and the entries thereunder, the following heading, sub-headings and entries shall be inserted, namely:-

“MINISTRY OF JAL SHAKTI (JAL SHAKTI MANTRALAYA)**A. DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (JAL SANSADHAN, NADI VIKAS AUR GANGA SANRAKSHAN VIBHAG)****I. GENERAL**

1. Development, conservation and management of water as a national resource; overall national perspective of water planning and coordination in relation to diverse uses of water and interlinking of rivers.
2. National Water Resources Council.
3. General policy, technical assistance, research and development training and all matters relating to irrigation, including multi-purpose, major, medium, minor and emergency irrigation works; hydraulic structures for navigation and hydro-power; tube wells and groundwater exploration and exploitation; protection and preservation of ground water resources; conjunctive use of surface and ground water, irrigation for agricultural purposes, water management, command area development; management of

reservoirs and reservoir sedimentation; flood (control) management, drainage, drought proofing, water logging and sea erosion problems; dam safety.

4. Regulation and development of inter-State rivers and river valleys. Implementation of Awards of Tribunals through Schemes, River Boards.
5. Water laws, legislation.
6. Water quality assessment.
7. Cadre control and management of the Central Water Engineering Services (Group A).

II. INTERNATIONAL ASPECTS

8. International organisations, commissions and conferences relating to water resources development and management, drainage and flood control.
9. International Water Law.
10. Matters relating to rivers common to India and neighbouring countries; the Joint Rivers Commission with Bangladesh, the Indus Waters Treaty 1960; the Permanent Indus Commission.
11. Bilateral and external assistance and cooperation programmes in the field of water resources development.

III. ORGANISATIONS AND BODIES UNDER THE DEPARTMENT

12. Central Water Commission.
13. Central Soil and Materials Research Station.
14. Central Groundwater Board.
15. Central Ground Water Authority.
16. Central Water and Power Research Station.
17. Farakka Barrage Project.
18. Ganga Flood Control Commission.
19. Farakka Barrage Project Control Board.
20. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee.
21. Brahmaputra Board.
22. Narmada Control Authority.
23. Betwa River Board.
24. National Institute of Hydrology.
25. National Water Development Agency.
26. Bansagar Control Board.
27. Tungabhadra Board.
28. Upper Yamuna River Board.
29. Water and Power Consultancy Services (India) Ltd. (WAPCOS).
30. National Projects Construction Corporation Limited.
31. National Ganga River Basin Authority including the Mission Directorate, National Mission for Clean Ganga and other related matters of Ganga Rejuvenation.
32. Conservation, development, management and abatement of pollution of rivers.
33. National River Conservation Directorate.

IV. ADMINISTRATION OF ACTS

34. The Northern India Canal and Drainage Act, 1873 (8 of 1873).
35. The Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956).
36. The River Boards Act, 1956 (49 of 1956).
37. The Betwa River Board Act, 1976 (63 of 1976).
38. The Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980).

B. DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION (PEYA JAL AUR SWACHCHHATA VIBHAG)

1. Rural water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned

to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation), sewage, drainage and sanitation relating to rural areas; International cooperation and technical assistance in this field.

2. Public cooperation, including matters relating to voluntary agencies in so far as they relate to rural water supply, sewage, drainage and sanitation in rural areas.
3. Co-operatives relatable to the items in this list.
4. Coordination with respect to matters relating to drinking water supply projects and issues which cover both urban and rural areas.”;

(vii) the heading “MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (JAL SANSADHAN, NADI VIKAS AUR GANGA SANRAKSHAN MANTRALAYA)” and the entries thereunder shall be omitted.

RAM NATH KOVIND
President

[F. No. 1/21/7/2019-Cab.]
RACHNA SHAH, Jt. Secy.